न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

निगरानी संख्या 02/2020 तारीख रजू 10.02.2020

श्रीमती बसन्ती देवी पत्नि लखनलाल जाति कजंर निवासी कजंर कॉलोनी चौथ का बरवाडा।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा जरिये सचिव ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा।
2. सरपंच ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा।
3. रामगोपाल गूर्जर पुत्र चौथमल गूर्जर निवासी ग्राम विजयपुरा तह0चौथ का बरवाडा।

.....अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 10/5/2021

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 3 रामगोपाल गूर्जर पुत्र चौथमल गूर्जर निवासी ग्राम विजयपुरा के नाम रिजर्व भूमि को आवासीय भूखण्ड संख्या 1, 1ए, 17बी, बताते हुये आलोच्य पट्टा दिनांक 05.09.2019 को अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में जारी करने पर उक्त ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के आलोच्य आदेश को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी अप्राथीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा के आलोच्य आदेश दिनांक 05.09.2019 के आधार पर जारी पट्टा दिनांक 05.09.2019 को निरस्त कराने बाबत प्रस्तुत की गयी है। यह है कि निगरानी कर्ता ग्राम चौथ का बरवाडा का मूल निवासी है जो कजंर कॉलोनी स्थित बुजुर्गो के समय के बने हुये खाम मकान में अपने परिवार के साथ रह कर काश्त कर अपना जीवन यापन करते है। यह है कि निगरानी गुजारान की खातेदारी कब्जे काश्त के खेत खसरा नम्बर 702 रकबा 0.86 हेक्टर कस्बा चौथ का बरवाडा की रेल्वे फाटक से पावडेरा रोड पर रोड के सहारे स्थित है जिसके सहारे पश्चिम में स्थित आराजी खसरा नम्बर 719 रकबा 0.03 हेक्टर खसरा नम्बर 720 रकबा 0.28 हेक्टर व खसरा नम्बर 721 रकबा 0.41 हेक्टर राजाराम बैरवा को निशुल्क आवंटन किया गया था परन्तु आवंटन के बाद कभी आवंटनी राजाराम बैरवा द्वारा उक्त आवंटित भूमि को काश्त नहीं की व हमेशा से यह भूमि बिना काश्त के पडत रही है जिसे प्रोपर्टी डीलर

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:04:06 IST
Reason: SelfAttested

हरीश राजोरा पुत्र चिरंजीलाल राजोरा जाति खटीक निवासी चौथ का बरवाडा ने खरीद कर इसे आवासीय भूखण्ड बना कर स्कीम बनाकर विक्रय करने हेतु इसे उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के आदेश दिनांक 19.12.2014 द्वारा किस्म परिवर्तित करवा लिया तथा इसमे कुल 25 आवासीय भूखण्ड बना कर नक्शा बनवा कर इन भूखण्डो का विक्रय विभिन्न लोगो को किया है जिससे हमारा कोई सम्बन्ध नही है क्योंकि हरीश राजोरा ने इस किस्म परिवर्तित भूमि पर आवासीय भूखण्ड बना कर विक्रय करने हेतु जो प्रथम नक्शा प्रकाशित किया उसमे हमारी भूमि की ओर भूखण्ड संख्या 1 बताते हुये इसे रिजर्व लेण्ड प्रकाशित किया है तथा इसी नक्शे के आधार पर विभिन्न लोगो को विक्रय पत्र पंजीकृत कराये है। यह है कि हरीश राजोरा द्वारा प्रकाशित इस प्रथम नक्शे की प्रति निगरानी याचिका के साथ प्रस्तुत की है जिससे स्पष्ट है कि नक्शे में प्रदर्शित रिजर्व भूमि मे भी 4 फीट भूमि हरीश राजेरा है बाकि भूमि हम प्रार्थी की भूमि का भाग है। यह है कि आवंटन के बाद से कभी भी मूल आवंटी द्वारा इस भूमि को कभी काश्त नहीं किया गया तथा हमारे द्वारा हमेशा से अपनी भ्ज्ञूमि को काश्त किया जाता रहा है इस कारण इस खेत की ओर हमारे द्वारा 40 साल पूर्व से पुख्ता दीवार 5 फीट उची बनायी हुयी थी ताकि उधर से जानवर आदि आकर हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुँचाये। यह है कि जब हरीश कुमार राजोरा द्वारा मूल खातेदार से इस भूमि को खरीद कर इस पर आवासीय भूखखण्ड बना कर विक्रय करना प्रारम्भ किया तो उसके द्वारा हमारी बनायी दीवार को उनकी खरीदशुदा भूमि में होना बताते हुये इसे हटाने को कहा जिस पर हमारे तथा हरीश कुमार के मध्य राजीनामा होकर होकर हमारी दीवार जहाँ बनी हुयी थी उसे हटा कर 4 फी अपनी ओर हटाने पर दोनो पक्ष सहमत हो गये तथा राजीनामा अनुसार हमारे द्वारा हमारी पुख्ता दीवार को हटवा लिया गया। हरीश राजोरा ने हमारी भूमि को रिजर्व भूमि अपीनी स्कीम मे प्रकाशित किया था जिसे खाली रखना बताया गया था इस कारण हमने अपनी दीवार को हटा कर पुनः 4 फीट हमारी ओर इस कारण नहीं बनायी कि जब हरीश कुमार द्वारा बेचे गये भूखण्ड पर लोगो के मकान बन जायेगे तो हम भी उधर की तरफ अपना मकान बना लेगें जिससे वहा रहने वाले लोगो के साथ आना जाना रहेगा। यह है कि हरीश कुमार व हमारे मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो जाने के कारण हमने ध्यान नही दिया तथा पता नही क्यो दिनांक 15.07.2019 को हरीश कुमार राजोरा ने अपने पुराने नक्शे के विपरीत एक नया नक्शा बनात हुये पूर्व नक्शे में जिसे हमारी भूमि को भूखण्ड संख्या 1 दर्शाते हुये उसे रिजर्व भूमि बनाया हुआ था उस स्थान पर नया नक्शा बनाते हुये उसमें इस रिजर्व भूमि के स्थान पर 1ए तथा 17 बी, नये भूखण्ड बनात हुये रजिर्व भूमि मे बताये गये इन भूखण्ड संख्या 1, 1ए, तथा 17बी, का विक्रय पत्र अप्रार्थी संख्या 3 रामगोपाल गूर्जर के नाम पंजीकृत करा दिया जिसकी हमे कोई जानकारी नहीं हो सकी। यह है कि विक्रय के आधार पर रामगोपाल गूर्जर ने इस रिजर्व भूमि को खुद की खरीदशुदा भूमि बताते हुये ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा में दिनांक 20.07.2019 को पट्टा चाहने बाबत आवेदन प्रस्तुत कर दिया तथा चुपचाप बिना हमारी जानकारी में लाये बिना सार्वजनिक आपत्ती नोटिस जारि किये तथा बिना मौका देखे ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा से आलोच्य आदेश दिनांक 05.09.2019 को प्राप्त कर लिया जो विधि विरूद्व होने

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:04:06 IST
Reason: SelfAttested

से निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा भूपरिवर्तन आदेश का न तो अवलोकन किया नही उसकी पालना की क्योकि किसी भी कृषि भूमि को जब भी आबादी में परिवर्तित की जाती है तो उसका 40 प्रतिशत हिस्सा सुविधाओं के लिए खाली भूमि के रूप में रिजर्व भूमि के रूप मे रखा जाता है जिस पर किसी प्रकार का निर्माण नही कराया जा सकता परन्तु विपक्षी संख्या 3 ने चुपचाप गलत नक्शा प्रस्तुत कर नियम विरूद्व ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा से यंह आलोच्य आदेश विधि विरूद्व प्राप्त किया है जो अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है।

यह है कि आलोच्य भूखण्ड पावडेरा फाटक से पावडेरा जाने वाले रोड पर स्थित है जिसमे आराजी खसरा नम्बर 719,720,721 पर जितनी भूमि पर आवासीय भूखण्ड बनाये जा सकते थे पूर्व में ही बनाये जाकर विक्रय किये जा चुके थे तथा शेष रिजर्व भूमि जो राज्य सरकार के नियमो के अनुसार सुविधओ के लिये खाली छोडी जानी आवश्यक होती है तथा उसे रिजर्व भूमि के रूप मे प्रदर्शित पूर्व नक्शे मे किया गया है जिसमे हमारी खातेदारी की भूमि को भी सम्मलित कर लिया है तथा उस पर ग्राम पंचायत बिना भली भांति जॉच किये आलोच्य आदेश पारित कर दिया गया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अन्त में वकील निगरानीकर्ता ने ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांक 05.09.2019 व इसके आधार पर जारी किया गया पट्टा दिनांक 05.09.2019 विधि विरूद्व होने से निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

विद्ववान वकील अप्रार्थी ने बहस में तर्क दिया है कि निगरानी गुजार ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2019 एवं उसके अनुसरण में जारी पट्टे को निरस्त करने के लिए निगरानी पेश की गयी है। यह है कि ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 05.09.2019 पट्टा जारी होने के उपरान्त पट्टे में दर्ज हो चुका है। यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा दिनांक 05.05.2019 रजिस्टर्ड है, कानूनन किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को निरस्त करने का प्रकरण सिविल न्यायालय में ही दायर हो सकता है एवं सिविल न्यायालय ही रजिस्टर्ड पट्टे के खिलाफ सुनवाई करने हेतु सक्षम है। अदालत हाजा को रजिस्टर्ड पट्टे के खिलाफ सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है एवं यह निगरानी क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण अदालत हाजा को सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। यह भी निवेदन किया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत करते समय निगरानी के साथ दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी शामिल नहीं किया तथा निगरानी देरी से प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त कारण भी निगरानी में अंकित नहीं किये जाने के कारण निगरानी खारिज योग्य है। यह है कि विवादित भूमि प्रोपट्री डीलर द्वारा अन्य व्यक्ति से क्रय कर माननीय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा से नक्शानुसार किस्म परिवर्तन कराने के पश्चात तथा भूमि आबादी में परिवर्तित हो हाने पर ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उक्त भूखण्ड को क्रय किया गया। तथा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या उक्त भूखण्ड पर काबिज है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को अप्रार्थी संख्या 3 रामगोपाल पुत्र चौथमल जाति गुर्जर निवासी विजयपुरा द्वारा उप पंजीयक चौथ का बरवाडा के यहॉ रजिस्टर्ड हो चुका है रजिस्टर्ड पट्टे को अदालत हाजा

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:04:06 IST
Reason: SelfAttested

में चुनोती देकर निगरानीकर्ता किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते। अतःवकील अप्रार्थी ने निगरानी खारिज किये जाने हेतु तथा ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.09.2019 को यथावत रखने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 रामगोपाल पुत्र चौथमल जाति गूर्जर निवासी विजयपुरा को खरीदशुदा भूखण्ड आराजी खसरा नम्बर 719, 720 व 721 में स्थित भूखण्ड संख्या 1, 1ए, व 17बी, साईज 269.30 वर्गगज दिनांक 05.09.2019 का ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 को पट्टा जारी किया गया। वकील निगरानी कर्ता ने अपनी बहस में बताया है कि विवादित भूमि की किस्म परिवर्तन जब प्रोपट्री डीलर द्वारा जो नक्शा बनाकर माननीय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के यहाँ भूमि रूपान्तरण हेतु पेश किया गया था उक्त नक्शे में भूखण्ड संख्या 1,1ए, व 17बी, को नही दर्शाया गया था उक्त तीनो भूखण्डो वाली भूमि को रिजर्व लेण्ड रखी गई थी बाद में नक्शा बदल कर उक्त तीनो भूखण्ड 1,1ए, व 17बी, बनाये गये है जो कि पूर्व नक्शे में उक्त भूखण्ड रिजर्व लेण्ड के रूप में थे। निगरानी कर्ता ने यह भी अवगत कराया है कि रिजर्व लेण्ड पर भूखण्ड नहीं बनाये जा सकते क्योकि उक्त खाली भूमि सुविधोओ की दृष्टि से खाली रखी जाती है। निगरानी कर्ता द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा ने पट्टा जारी करने से पूर्व उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा द्वारा किस्म परिवर्तन किये गये आदेश का सही तरह से अवलोकन नहीं किया तथा नहीं आपत्ती नोटिस जारी किये गये। उभय पक्ष द्वारा साईटेशन की प्रतियॉ पेश की जो शामिल मिसल की गयी। ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 रामगोपाल पुत्र चौथमल जाति गुर्जर निवासी विजयपुरा द्वारा क्रय किया भूखण्ड के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 05.09.2019 में किसी प्रकार की अनियमिता नजर नहीं आती है। अतः मेरी राय मैं निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत चौथ का बरवाडा द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 05.09.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/8/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.10 14:04:06 IST
Reason: SelfAttested